न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

समक्ष – एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1123–तीन/2000 – विरूद्ध – आदेश दिनांक 27–4–2000– पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्रकरण नम्बर 110/1992–93 अपील

1– रामसेवक पुत्र बटुरी
2– रामसनेही उर्फ रामदीन
3– दामोदर
4– जगमोहन तीनों पुत्रगण रामसेवक
चारों निवासी ग्राम लहारपुरा तहसील
अटेर जिला भिण्ड मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– रघुनाथ प्रसाद (मृतक)पुत्र हरनारायण

वारिस

(1) श्रीमती सरस्वती पत्नि स्व.रघुनाथ ·
(2) रामकुमार (3) रमाकांत (4) राघवेन्द्र
(5) रवीन्द्र (6) श्रीमती मुन्नी पुत्री रघुनाथ
(7) श्रीमती गीता पुत्री रघुनाथ
सभी निवासी जाधव कालोनी सिटी हॉस्पिटल के सामने बहोड़ापुर लश्कर ग्वालियर
2– रामशॅकर पुत्र हरनारायण
3– जगतनारायण पुत्र रामचरण
4– आशाराम दत्तक पुत्र कंचन
5– श्रीमती रमा पत्नि स्व. कैलाशनारायण
6– रमेश 7– कृष्णमुरारी 8– अशोककुमार
9– राधेलाल चारों पुत्रगण कैलाशनारायण
सभी निवासी ग्राम रिदौली तहसील अटेर
जिला भिण्ड मध्य प्रदेश

---अनावेदकगण

कृ0पृ0उ0---2

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)

(अनावेदक –4 के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)

(अन्य अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 2 – 11 –2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 110/1992–93 अपील में पारित आदेश दिनांक 27–4–2000 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है विवादित भूमि ग्राम रिदौली की सर्वे कमांक 40, 75, 78, 104, 108, 124 है शासकीय अभिलेख में आवेदकगण का इस भूमि पर कब्जा अभिलिखित रहा है। आवेदकगण ने मध्य भारत लेण्ड रेवेन्यू टेनेन्सी एक्ट की धारा 91 के अंतर्गत दिनांक 8–5–1953 आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि विवादित भूमि पर अनावेदकगण का कब्जा है इसलिये कब्जा दिलाया जावे। तहसील न्यायालय में प्रकरण पॅजीबद्व किया जाकर कार्यवाही प्रचलित हुई। इसी दरम्यान हरनारायण वगैरह ने सिविल जज के न्यायालय में दीवानी दावा कमांक 18/55 दायर कराया, जिसमें पारित आदेश दिनांक 11–4–60 से दीवानी दावा इस आधार पर खारिज किया गया कि जमींदार व्दारा अनावेदकगण को विवादित भूमियॉ नहीं दी गई हैं इसलिये अनावेदकगण का कब्जा होना नहीं माना गया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने अपर जिला न्यायाधीश भिण्ड के न्यायालय में अपील कमांक 33/60 प्रस्तुत की गई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 20–9–61 से अनावेदकगण को विवादित भूमि पर संवत 2003 से

2006 तक काविज होना तथा आवेदकगण के सिकमी कास्तकार होना माना गया।

तहसील न्यायालय में प्रचलित प्रकरण में आदेश दिनांक 26-7-65 पारित हुआ तथा निर्णीत किया गया कि विवादित भूमियों पर अनावेदक संवत 2003 से 2006 तक काविज रहे, तब संवत 2007 में अनावेदक पक्ष व्दारा आवेदकों को विवादित आराजियों पर से बेदखल करने का प्रश्न ही उपत्पन्न नहीं होता है। अतएव आदेश दिनांक 26-7-65 से अनावेदकगण का दावा खारिज किया गया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी अटेर के यहॉ अपील हुई जिसमें पारित आदेश दिनांक 18-7-66 से अपील निरस्त हुई। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चम्बल संभाग ग्वालियर के यहॉ द्वित्तीय अपील प्रस्तुत हुई, जो निरस्त हुई। तदुपरांत राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर के यहॉ निगरानी प्रस्तुत हुई जिसमें पारित आदेश दिनांक 7-3-1974 से निगरानी इस आधार पर निरस्त की गई कि अनावेदकों का सिकमी होना संवत 2003 से 2006 तक विवादित आराजियों पर काविज होना पक्षकारों के बीच Res-judicata से प्रकरण बाधित होने के कारण उसी विवाद को पुनः नहीं उठाया जा सकता। राजस्व मण्डल के इस निर्णय के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ ग्वालियर में याचिका प्रस्तुत हुई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 25-11-1978 से यह निर्णय हुआ कि अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश का आदेश दिनांक 20-9-62 आवेदक पक्ष के विरूद्व Res-judicata नहीं माना जा सकता। यह भी फैसला हुआ कि सिविल जज व्दारा दावा कमांक 18/55 में पारित आदेश दिनांक 11-4-60 को अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश ने यथावत् रखा है इसके वाद भी कब्जा संबंधी प्रतिकूल टीप आवेदक पक्ष के विरूद्व मानकर निर्णय पारित किये गये हैं। फलतः अपर सत्र न्यायाधीश के निर्णय को आवेदक

पक्ष के विरूद्ध कब्जा संबंधी प्रतिकूल टिप्पणी को बन्धनकारी नहीं माना गया और मान. उच्च न्यायालय ने पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रकरण राजस्व मण्डल को निर्देश दिये । राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर से प्रकरण कमांक 49–एक/1967 में पारित आदेश दिनांक 22–12–81 से विवादित आराजियों पर जमींदार की ओर से अनावेदकों का सिकमी होना सिविल न्यायालय व्दारा अस्वीकार करने के आधार पर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त कर प्रकरण तहसील न्यायालय को सुनवाई हेतु वापिस किया गया।

तहसीलदार अटेर ने उक्तानुक्रम में प्रकरण कमांक 6/59X1991 दर्जकर कार्यवाही प्रारंभ की तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 9–5–1985 पारित किया एंव निर्णीत किया कि अनावेदकगण व्दारा विवादित आराजियों पर से (संवत 2007) में दिनांक 6–8–1950 को आवेदकों को बेदखल करने की बात पूर्णतः असत्य है इसलिये वाद कारण उत्पन्न न होने से आवेदकगण का दावा निरस्त कर दिया । इस आदेश से परिवेदित होकर अनुविभागीय अधिकारी, अटेर के यहॉ अपील दर्ज कराई गई । अनुविभागीय अधिकारी अटेर ने प्रकरण नंबर 19/1984–85 अपील में पारित आदेश दिनांक 18–11–92 से अपील निरस्त कर दी । इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष द्वित्तीय अपील प्रस्तुत हुई जो प्रकरण नम्बर 110/1992–93 अपील में पारित आदेश दिनांक 27–4–2000 से अस्वीकार की गई। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी दाखिल की गई है।

3/ उपस्थित पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ पक्षकारों के अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरणों में आये विवरण से स्थिति स्पष्ट हुई कि

(5) निगरानी प्र0क01123–तीन/2000 जब राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर से प्रकरण कमांक 49–एक/1967 में पारित आदेश दिनांक 22–12–81 से प्रकरण कार्यवाही के लिये तहसीलदार अटेर को लौटाया गया, तहसीलदार अटेर ने प्रकरण कमांक 6/59X1991 दर्जकर पक्षकारों को सुनवाई हेतु पूर्ण अवसर दिया है जिसमें उभय पक्ष ने अपनी–अपनी मौखिक साक्ष्य तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की है। मौखिक साक्ष्य में आवेदकगण अपना दावा प्रमाणित करने में असफल रहे है जबकि अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से आवेदकगण वादोक्त भूमि से बेदखल करना प्रमाणित नहीं हुआ है । इस सम्बन्ध में तहसीलदार अटेर ने प्रकरण कमांक 6/59X1991 में पक्षकारों व्दारा प्रस्तुत साक्ष्य की विस्तृत विवेचना कर आदेश दिनांक 9–5–1985 में निष्कर्ष निकाले हैं जिसके कारण तहसीलदार के आदेश दिनॉक 9–5–1985 से अपर आयुक्त भी सहमत रहे हैं एंव उनके व्दारा भी आदेश दिनॉक 27–4–2000 में विस्तृत परीक्षण/विवेचना कर निष्कर्ष दिये हैं जिनसे असहमत होने गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ठोस आधारों पर आधारित नहीं होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 110/1992–93 अपील में पारित आदेश दिनॉक 27–4–2000 विधिवत् पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर